

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासिन अधिकारी:- श्री अनुराग भार्गव, आरएएस
परिवाद संख्या 11/2017
दायर दिनांक 06.03.2017

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री रमेश पिता नंदलाल शर्मा दुध विक्रेता
निवासी -मुकाम धमाखेडी पोस्ट अमलावद तहसील व जिला प्रतापगढ़

- अप्रार्थी



:-आदेश:-

दिनांक 20/03/2017

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड दुध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) व 26 की उपधारा 2(V) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र ,प्रार्थना पत्र मय पहचान पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.08.2016 को 7.30 ए.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त हाल नीमच नाका प्रतापगढ़ में एक दुध विक्रेता की मोटर साईकल रूकवा कर निरीक्षण करने पर मोटर साईकल नं0 RJ-03-M 3929 पर लटके दो


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

बड़े प्लास्टिक कैन में दूध ले जा रहा था दौनो बड़ी कैनो में भरे दुध का निरीक्षण किया। केनो में करीब 30 लीटर दूध भरा हुआ पाया गया। पूछने पर बताया कि दोनो केनो में मिश्रित दूध है जो आमजन को विक्रय करने हेतु ले जाना बताया जिस कैन में 15 लीटर मिश्रित दुध भरा हुआ था का निरीक्षण के दौरान मिश्रित दुध मे मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर मौके पर मिश्रित दूध का नमूना लेने की लिखित सूचना फार्म नं0 5 ए के द्वारा विक्रेता को दी फार्म नं. 5 ए एक प्रति विक्रेता को देकर दूसरी प्रति पर विक्रेता की प्राप्ति रसीद ली। तत्पश्चात गवाहान की उपस्थिति में बड़े प्लास्टिक की कैन में भरे 15 लीटर मिश्रित दूध को आधा लीटर के नाप से हीला मिला कर एक रूप कर 2 लीटर मिश्रित दूध एक साफ सुखे एवं खाली स्टील की भगोनी में नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को 60 रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खरीद शुदा मिश्रित दूध को 4 खाली जार में बराबर- बराबर डालने के पश्चात प्रत्यैक में 40-40 बुंदे फार्मलीन की डालकर एयर टाईट सीलबन्द कर व लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-762 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोद से चिपकाया गया। तत्पश्चात डी0ओ0 प्रतापगढ़ के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक वाई-762 गोंद से गोलाई में चिपकाई, धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया। चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-762 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये, विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कॅस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिन्होंने पढ़, सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया। उक्त समस्त कार्यवाही गवाहान की उपस्थिति में की गई।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था। फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 19.08.2016 को देकर रसीद प्राप्त की। 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 19.08.2016 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की। शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

पुस्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर दिनांक 19.08.2016 को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुस्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रोषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया मिश्रित दूध का नमूना सब स्टैण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया ।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री रमेश शर्मा को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।


अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त ने अपने जवाब में उसके उपर लगाये गये आरोपों को स्वीकार किया और बताया कि वह तो ग्रामीण क्षेत्र से दुध क्रय करके इकट्ठे किये गये दुध को शहर में विक्रय हेतु लाता है उसके स्वयं के द्वारा दुध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है । जैसा दुध ग्रामीणों से मिलता है वैसा ही वो कुछ राशि लाभ के रूप में प्राप्त करते हुए शहर में विक्रय कर देता है । चुंकी अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर लिया गया है । अतः उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अपनी गलती स्वीकार कर ली है व आगे से ऐसा नहीं करेगा इस बात के लिये आश्वस्त किया । साथ ही यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जाएगी अतः प्रकरण ड्रॉप करने का निवेदन किया ।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. 437/2016/446 दिनांक 24.08.2016 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मोटर साईकल नं0 RJ-03-M 3929 पर विक्रय हेतु ले जा रहा मिश्रित दूध का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है , जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है ।


अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) व 2(V)के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 में




न्याय निम्न अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । चूंकि अप्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोपों को दौराने बहस स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है , परन्तु अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) व 2(V)का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री रमेश पिता नंदलाल शर्मा दुध विक्रेता (मोटर साईकल नं० RJ-03-M 3929 पर था) निवासी मुकाम धमाखेडी पोस्ट अमलावद तहसील प्रतापगढ़ पर 1500/- (अक्षरे एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी०डी० न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 20.03.2017 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2017 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
(अनुराग भट्टनागर) जे.ट, प्रतापगढ़
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़


क्रमांक/रीडर/2016/ 48-50

दिनांक 20.03.2017

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री रमेश पिता नंदलाल शर्मा दुध विक्रेता निवासी मुकाम धमाखेडी पोस्ट अमलावद तहसील एवं जिला प्रतापगढ़




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
(अनुराग भट्टनागर) जे.ट, प्रतापगढ़
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़